कार्यालय कलेक्टर, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.)

नरसिंह भवन, नरसिंहपुर 487001, फोन नं.-07792-230900, फैक्स नं.-07792-230915
E-mail:- dmnarsinghpur@nic.in, website:- www.narsinghpur.nic.in

क्र./ 479 /को.आ.प्र./जि.प./2020 नरसिंहपुर, दिनांक- 01/05/2020

कोरोना से जंग - जनता के संग

जिला कोरोना आपदा समूह बैठक

दिनांक 01 मई 2020

कार्यवाही विवरण

1. आज दिनांक 01-05-2020 को दोपहर 12.00 बजे जिले के समस्त माननीय सांसद गण एवं माननीय विधायक गण के साथ **जिला कोरोना आपदा समूह** की बैठक सभाकक्ष कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर में आहूत की गई। बैठक में निम्नानुसार माननीय सदस्य उपस्थित रहे-

माननीय ज़नप्रतिनिधिगण

क्र	नाम	पदनाम	मोबाइल नंबर
1.	श्री कैलाश सोनी	मान0सांसद, राज्यसभा	9425168729
2.	श्री उदयप्रताप सिंह	मान0सांसद, लोकसभा होशंगाबाद	9425168755
3.	श्री जालमसिंह पटेल	मान0विधायक नरसिंहपुर	9425168999
4.	श्री संजय शर्मा	मान0विधायक तेन्दूखेडा	9425168955
5.	श्रीमति सुनीता पटेल	मान0विधायक गाडरवारा	9479701108

अधिकारीगण

क्र	नाम	पदनाम	मोबाइल नंबर
1.	श्री दीपक सक्सेना	कलेक्टर	9407083130
2.	श्री गुरूकरण सिंह	पुलिस अधीक्षक	7049100449
3.	श्री कमलेश भार्गव	अपर कलेक्टर एवं मु.का.अधि.	9425729394
4.	डॉ. एन.यू. खान	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी	9425476748

2. बैठक में कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा दिनांक 03 मई 2020 लाकडाउन के बाद की प्रस्तावित कार्यवाहियों पर प्रस्तुतीकरण किया गया।माननीय सदस्यगण द्वारा लाकडाउन के दौरान जिले में नागरिकों की जागरूकता की सराहना करते हुये धन्यवाद ज्ञापित किया और प्रशासन द्वारा किये जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया गया। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिये गये-

लाकडाऊन :-

- सीमावर्ती जिलों को देखते हुये सीमित शिथिलताओं और विहित शर्तो के साथ लाकडाऊन 21 दिन और बढ़ाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया. उक्त निर्णय भारत सरकार और राज्य शासन के लाकडाउन के सम्बंध में निर्णय के अधीन होगा.
- बिना बाजिब वजह घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित.
- केवल शिथिलता की अवधि में अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिये घर से बाहर निकलने की अनुमति

परिवहन :-

- लाकडाऊन में शिथिलता की अवधि में निजी चार पहिया वाहन और मोटर साइकिल के सीमित उपयोग (केवल शिथिलता की अवधि के दौरान) की अनुमति.
- निजी कार और मोटर साईकिल के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा जारी निम्नलिखित एडवायजरी का पालन अनिवार्य होगा.

मोटर साइकिल	केवल एक व्यक्ति के उपयोग के लिये.अनुज्ञेय
पांच सीटर कार	ड्राइवर सहित केवल दो व्यक्ति के उपयोग के लिये अनुज्ञेय
सात सीटर कार	ड्राइवर सहित केवल चार व्यक्तियों के उपयोग के लिये अनुज्ञेय

- सभी प्रकार के पैसेंजर वाहन, बस, मैजिक, आटो, टैक्सी आदि पर प्रतिबंध यथावत.
- निजी वाहनों को किराये पर चलाना प्रतिबंधित होगा.

दुकाने एवं प्रतिष्ठान :-

- अतिआवश्यक उपयोग की वस्तुओं की दुकानों और सेवाओं को विशेष दिन और समय पर खोलने की सीमित अनुमति- किराना और जनरल स्टोर्स साग सब्जी, सभी प्रकार के रिपयेर शाप, विद्युत उपकरण शाप, निर्माण सामग्री शाप आदि को विशेष दिन और विशेष समय पर खोलने की अनुमति.
- दुकानों के अंदर ग्राहकों का प्रवेश प्रतिबंधित, दुकान के अंदर प्रवेश कर सामान को छूने और उठाने की मनाही.
- केवल काउन्टर से बिक्री की अनुमति.
- दुकान और प्रतिष्ठान पर अधिकतम 30% स्टाफ.
- दुकान पर फिजिकल डिस्टेसिंग और हाथ सेनेटाइज करने के लिये टचलेस व्यवस्था करना अनिवार्य.

रोजगार सृजन :-

- व्यापक रोजगार सृजन के लिये सभी प्रकार के निर्माण कार्यो को प्रारंभ किये जाने की अनुमति.
- सभी उद्योगों को 30 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ चलाये जाने की अनुमति.
- रोजगार सृजन में संलग्न शासकीय कार्यालयों को खोलने की अनुमति

समारोह :-

- सभी सार्वजनिक एवं निजी समारोह पर प्रतिबंध यथावत.
- शादी विवाह एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों के उपस्थित रहने की अनुमति.

<u>सीमाबंदी :-</u>

- जिले की सीमाबंदी यथावत.बिना अनुमति जिले की सीमा में आना और बाहर जाना प्रतिबंधित.
- जिले की सीमा में अनुमति के साथ प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का अनिवार्य संस्थागत कोरन्टाइन.
- आवश्यक मेडिकल स्क्रीनिंग और जांच के बाद होम कोरन्टाइन के संबंध में निर्णय.

<u>लाकडाउन अवधि में निम्नलिखित विहित शर्तों (प्रतिबंध/ निषेध) का पालन अनिवार्य होगा</u>

- दिनांक 20 मार्च 2020 के पश्चात जिले में प्रवेश किये व्यक्तियों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित. प्रतिबंध का पालन करने की जिम्मेदारी सम्बंधित व्यक्ति की स्वयं की होगी. पालन नहीं करने की स्थिति में प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा. अपरिहार्य स्थिति में उक्त श्रेणी के व्यक्ति, कलेक्टर कार्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त कर घर से बाहर निकल सकेंगे.
- सर्दी खांसी,जुकाम,बुखार से पीडित व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थानों पर जाना प्रतिबंधित.
- तम्बाकू,गुटका,पान,च्यूंगम, बबलगम का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना,कुल्ला करना, गरारे करना, मुंह धोना, टूथब्रश करना आदि प्रतिबंधित.
- फेस मास्क लगाना अनिवार्य.
- दो मीटर का फिजिकल डिस्टेंस रखना अनिवार्य
- घर से बाहर निकलने पर हर आधे घंटे में साबुन से हाथ धोना अथवा सेनेटाइज करना अनिवार्य.
- आम जनता को लिक्विड सोप, पेपर सोप, सेनटाइजर आदि साथ में रखने की हिदायत.

<u>दण्ड/शास्ति :-</u>

- विहित शर्तो का उल्लघंन करने की स्थिति में रू.1000/- तक का अर्थदंड.
- अन्य विधिक प्रावधानों के तहत सुसंगत कार्यवाही.

3. सीमित शिथिलतायें प्रदान करने के सम्बंध में विशेष दिन और विशेष समय का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा किया जाये। सामान्य तौर पर दुकानें खोलने के लिये सप्ताह में कम से कम एक दिन, दोपहर12 बजे से शाम 4 बजे तक समय दिया जाना उपयुक्त होगा।
4. आपदा प्रबंधन समूह द्वारा कोविड-19 के सेम्पल, संस्थागत कोरन्टाईन, मजदूरों को अन्य जिलों में भेजने की स्थिति, जिले के व्यक्तियों के अन्य प्रदेशों में फंसे होने की स्थिति, अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, गेंहू/चना उपार्जन, जीवन शक्ति योजना, ई-पास व्यवस्था, टोटल लाक डाउन के उल्लंघन और बिना अनुमति जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई और प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाहियों पर संतोष व्यक्त किया गया। इंदौर एवं अन्य जिलों में फंसे हुये बच्चों को वापिस लाने के बारे में शासन निर्देशों के अधीन प्रयास करने का सुझाव दिया गया।
5. शादी, विवाह की अनुमति के साथ ही ज्वेलरी एवं कपड़े खरीदनें की अनुमति भी दिये जाने का सुझाव दिया गया, जिसे मान्य किया गया।
6. करेली शुगरमिल द्वारा किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। शुगरमिल को भुगतान करने हेतु बाध्य किया जाये अन्यथा स्थिति में शुगरमिल के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

7. जिले में कई प्राइवेट डाक्टर्स एवं नर्सिंग होम मरीजों का ईलाज नहीं कर रहे हैं। इन्हें ईलाज उपलब्ध कराने के लिये बाध्य किया जाये, अन्यथा स्थिति में कार्यवाही की जाये।
8. गेंहू उपार्जन के सम्बंध में सर्वेयर द्वारा बेवजह गेंहू को नान एफएक्यू बताने की शिकायतें आई हैं, उनकी गंभीरता से जांच की जाये।
9. चना के उपार्जन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल के उत्पादन की सीमा पर संतोष कारित किया गया। चना उपार्जन में चौकसी बनाकर रखी जाये ताकि कतिपय व्यक्ति अफरा-तफरी न कर सकें।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

01.05.2020

(कमलेश कुमार भार्गव)
अपर कलेक्टर
एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नरसिंहपुर

पृ0क्र./ 480 /को.आ.प्र./जि.प./2020 नरसिंहपुर, दिनांक- 01/05/2020

प्रतिलिपि -

1. उपसचिव, मान.मुख्यमंत्री कार्यालय म.प्र.शासन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
7. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व संबंधित श्री ....
    नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला जनसम्पर्क अधिकारी नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।

01.5.2020

अपर कलेक्टर
एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नरसिंहपुर